न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 117/2017/अपील

1. कालूराम उम्र 80 वर्ष
2. गोमाराम उम्र 75 वर्ष } पुत्रगण घड़सीराम

जाति जाट निवासीगण ढाणी नल्यावाली तन कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

अपीलान्ट

बनाम

उप तहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.07.2017 मु.नं. 99/2017 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम कालूराम वगैरह न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़

वकील अपीलांट श्री रामेश्वर लाल बिजारणियां

निर्णय

दिनांकः–29.01.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को भूमि खसरा नम्बर 134 ढाणी नल्यावाली झाझडिया किस्म चारागाह के रकबा 0.20 हैक्टर पर अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 17.07.2017 को निर्णय पारित कर बेदखल करने का निर्णय पारित किया है जबकि योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही के नोटिस अपीलांट के पास कभी गये ही नहीं तथा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवायी का कोई अवसर ही नहीं दिया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को नोटिस जारी ही नहीं किए केवल मात्र नोटिस भरने की कार्यवाही कर नोटिस पत्रावली में ही रखा। इसलिए भी बिना सूचना या सुनवायी का अवसर दिए पारित किया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है जबकि कानूनन हल्का पटवारी या अतिक्रमण की रिपोर्ट करने वाले सक्षम कर्मचारी/अधिकारी का मुख्य परीक्षण किया जाना आज्ञापक है। तथा प्रकरण में बिना बयान हुए ही निर्णय पारित कर गंभीर कानूनी त्रुटि की है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जहां अतिक्रमी माना है वह भूमि सैटलमेंट के दौरान आबादी भूमि रही है तथा इसके पुराने खसरा नम्बर 58 पुराना राजस्व ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर रहा। जिसका पट्टा शिक्षा प्रसार अधिकारी पंचायत समिति खण्डेला द्वारा दिनांक 16.12.1975 को अपीलांट व इनके भाईयों के पक्ष में जारी किया गया है तथा वर्ष 1975 से अपीलांटस पुख्ता मकान आवास ... मकानों में विधुत कनेक्शन ले रखा है। ... कर्मचारियों द्वारा ...

जाकर न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ जिला सीकर द्वारा मु.न. 99/2017 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम कालूराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2017 को निरस्त किए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला द्वारा दिनांक 27.12.2010 को आदेश पारित किया गया कि ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के ग्राम ढ़ाणी झाझड़िया के खसरा नम्बर 127 रकबा 0.60 है0 किस्म चारागाह में से 0.60 है0 भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित किये जाने हेतु आदेश पारित किया हुआ है। उक्त आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रार्थी रामेश्वरलाल द्वारा दिनांक 13.07.2017 को एक आवेदन तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रस्तुत करने के बावजूद भी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया एवं अपीलांट को बेदखल किये जाने हेतु आदेश पारित कर दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम ढ़ाणी नल्यावाली झाझड़िया के खसरा नम्बर 134 रकबा 0.38 है0 में से 0.20 है0 किस्म चारागाह पर मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला द्वारा भूमि खसरा नम्बर 127 में से आबादी विस्तार हेतु आवंटित किये जाने बाबत आदेश की प्रति अधिवक्ता प्रार्थी अपीलांट द्वारा पेश की गई, जो कि अतिक्रमित भूमि से भिन्न खसरा है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी/अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः राजकीय भूमि (चारागाह) पर मकान बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 17.07.2017 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश) 18

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर